तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर व श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभि0 अपीलांट श्री मदनलाल गुर्जर, अभि0 रेस्पो0 संख्या 1 श्री विकास पाराशर, अभि0रेस्पो0 सं.3 एवं ब्रीफ होल्डर श्री राजेश गौतम श्री गिरीश पारीक, अभि0 रेस्पो0 संख्या 4 दिनांक : 11.10.2021 **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 328 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 14–1–2004 के विरूद्ध धारा 76राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है। अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट सं.1 श्योसिंह एवं अपीलांट सं.3 श्रीमन तथा रेस्पो. सं. 2 रामनिवास का देहान्त हो जाने से आदेशिका दिनांक 14–9–11 द्वारा प्रार्थी / अपीलांट सं. 1 का नाम तर्क किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी / अपीलांट सं. 1 का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये गये। आदेशिका दिनांक 25–10–2010 द्वारा अपीलांट सं. 3 श्रीमन तथा रेस्पो. सं. 2 रामनिवास के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित अपीलांट सं. 3 के वारिसान सं. 1 से 6 तथा रेस्पो. सं. 2 के वारिसान सं.1 से 4 को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स ने एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिलाधीश को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20–10–75 को आराजी खसरा नंबर 836 / 1292 रकबा 1.25हेक्टर केदारसिंह को, 836 / 1291 रकबा	**WR**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1.25हेक्टर श्री रामनिवास को, 1062 / 1262 रकबा 1.30हेक्टर एवं 853 / 1275 रकबा 0.68हेक्टर श्री रामखिलाडी को तथा 1062 / 1293 रकबा 1.25हेक्टर श्री गोविन्द सिंह को आवंटन किया गया है। यह आवंटन नियमों के विपरीत एवं खिलाफ मौका एवं रिकार्ड तथा मिथ्या एवं फर्जी तरीके से कराया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी चरागाह है जिसका आवंटन किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट्स ने प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया। अतिरिक्त जिलाधीश करौली ने आदेश दिनांक 11–9–1978 से रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में किये गए सभी आवंटन निरस्त कर दिए। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26–12–1998को स्वीकार कर प्रकरण पुनः अतिरिक्त जिलाधीश को प्रतिप्रेषित किया गया। अतिरिक्त जिलाधीश ने पक्षकारान की पुनः बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 14–9–2000 के द्वारा केदार एवं रामनिवास का आवंटन निरस्त कर दिया तथा रामखिलाडी और गोविन्द के बारे में यह कहा गया कि इनका अपीलांट्स से समझौता हो गया है इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर तहसीलदार को आदेश दिए कि वह रामखिलाडी व गोविन्दसिंह के विरूद्ध नियम 14(4) के तहत कार्यवाही अलग से करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील पेश की जिसे उन्होंने पक्षकारान की बहस सुनकर अपील अनियमित रूप से आक्षेपित निर्णय दिनाकं 14–1–2004 द्वारा स्वीकार कर ली। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील पेश की है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को एक नया स्वरूप देकर रेस्पोडेन्ट्स की अपील स्वीकार करने में न्यायिक भूल की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह मामला धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नहीं है। जो दस्तावेजात अभिलेख पर उपलब्ध हैं, उनसे मामला स्पष्ट रूप से फर्जी आवंटन का दिखाई देता है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय के पृष्ठ 4 के पेरा 9 में अपने निर्णय का आधार दर्शाया है। उन्होंने मात्र राय के आधार पर निर्णय पारित करने में न्यायिक भूल की है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज जब आवंटन संबंधी है तो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की व्याख्या करना बेबुनियाद है। दिनांक 20–10–75 का जो आवंटन आदेश पत्र है वह उपखण्ड अधिकारी का हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज है जबकि आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी के अलावा कम से कम 3 अन्य सदस्यों की सहमति एवं हस्ताक्षर उक्त आवंटन आदेश 20–10–75 पर होने थे परन्तु उस पर ऐसा सिद्ध नहीं है। आवंटन रजिस्टर देखने से भी यह सिद्ध होता है कि उक्त दिनांक को कोई आवंटन किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है तो उसे भू प्रबंध द्वारा की गई कार्यवाही नहीं माना जा सकता। ऐसे में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–1–2004 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–1–2004 निरस्त किया जावे तथा अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 14–9–2000 में यह संशोधन किया जावे कि रामखिलाडी एवं गोविन्दसिंह को किया गया आवंटन भी केदारसिंह व रामनिवास की तर्ज पर निरस्त समझा जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 पूर्ण रूप से स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में कथन किया कि अतिरिक्त कलक्टर के निर्णय दिनांक 14–9–2000 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील पेश की गई। पूर्व में भी अतिरिक्त कलक्टर द्वारा आवंटन खारिज किया था जिसकी अपील की गई थी और राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां से प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। रिमाण्ड आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। दिनांक 20–3–87 को रामखिलाडी व गोविन्द सिंह के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है लेकिन दिनांक 14–9–2000 को पुनः आवंटन नियम 14 (4) की कार्यवाही हेतु आदेश पारित कर दिये गये तथा शेष को आवंटन नहीं मानकर आराजी सिवायचक दर्ज कर दी। उनका तर्क है कि आवंटन को फ्रॉड, मिस–रिप्रजेन्टेशन के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है जबकि रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत आवंटन हुआ है जिन्होंने आराजी को धन एवं श्रम व्यय करके काबिल काश्त बनाया है, ऐसे में इतने पुराने आवंटन को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही अपीलांट्स किसी भी प्रकार से एग्रीव्ड नहीं है तथा उन्हें नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही आराजी खसरा नंबर 853 / 1275 रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड क्रय शुदा आराजी के संबंध में अतिरिक्त कलक्टर को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 328 / 2000 को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दि014–9–2000 को निरस्त करने में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं की है। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2018 (2) आरआरटी 1007, 2016 (1) आरआरटी 82, 589, 718 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26–12–98 से प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अतिरिक्त कलक्टर सवाईमाधोपुर प्रकरण में पुनः बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 14–9–2000 द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को कभी कोई आवंटन किया गया। उन्होंने यह भी माना कि 20–10–75 को तथाकथित आदेश स्टाफ की मिलीभगत से अथवा धोखाधडी से तैयार किया गया है अतः बिना वैध आवंटन के राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन प्रारम्भतः शून्य एवं गैरकानूनी है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को हटाकर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही रजिस्टर तथा आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र की पत्रावलियों को अपने निर्णय का आधार बनाया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 14–9–2000 के पृष्ठ संख्या 3 के अंतिम पेरा में यह अंकित किया है कि– ''आबंटन नियमों के तहत कार्यवाही विवरण रजिस्टर अथवा आवंटन के लिए प्रस्तुत किये गये आवेदन की पत्रावलियों, ये ही दो मूल दस्तावेज हैं जो आवंटन के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज कहे जा सकते हैं। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के कार्यालय से दिनांक 20–10–75 को जो आदेश जारी करना दिखाया गया है उसके समर्थन में कोई प्रारम्भिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जो इस आदेश को प्रमाणित करता हो, वैध करार दिया जा सकता हो।'' किन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने रामिखलाडी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं गोविन्दसिंह द्वारा किये गये समझौता को गैर कानूनी मानते हुए तहसीलदार गंगापुर को रामखिलाडी एवं गोविन्दसिंह कें खिलाफ नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर को केदारसिंह व रामनिवास के आवंटन को निरस्त किये जाने की तर्ज पर ही रामखिलाडी एवं गोविन्द सिह के आवंटन को भी निरस्त करना चाहिए था। अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनाक 14–9–2000 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 14–1–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14–9–2000 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में कवर नहीं होना मानकर अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय को क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपास्त कर दिया, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–1–2004 निरस्त किया जाता है एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–9–2000 में यह संशोधन किया जाता है कि रामखिलाडी एवं गोविन्द सिंह को किया गया आवंटन भी केदार सिह व रामनिवास की तर्ज पर निरस्त समझा जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	